

Date of Order of Proceeding: 26/12/16  
 Order of Proceeding No. 47/16 of 20  
 Case No. 185/16/185  
 Signature of Parties of Pleaders where Necessary

उपनिरीक्षक/प्रधान को जॉइंट चेयर के उपाध्याय/सहायक  
 को 117 आरक्षक/आरक्षक अनिल धर्मा  
 को 47/16 आरक्षक को ओर से इम्प्लेण्ट  
 को 185/16/185 अधिनियम के अधीन दण्डनीय  
 अपराध के संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग  
 पत्र/परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।  
 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 से उप0।

अभियुक्त/अभियुक्तगण जगदीश 16 2 प्रोबर्ट फिड 40 जाल

निवासी/निवासगण भ्रजपुरा P5 पोर्टल  
 जिला मुहब्बत राज्य मिहब्बत  
 उपस्थित। अभियुक्त/अभियुक्तगण के ओर से अधिवक्ता  
 श्री द्वारा गोरखपुर/वकालतनामा प्रस्तुत  
 किया।

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।  
 प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार आरोप प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190--(1) 40 प्रोबर्ट फिड के अधीन संज्ञान का आदेश किया जाता है।  
 प्रकरण का पंजीयन आदेश करने में दर्जे

अभियुक्त/अभियुक्तगण को 47/16 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र में निश्चित दिलाया

तारीख



चूँकि मागला संश्लित विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 185, भा0द0सं0/ अभियुक्त कर अभियुक्त अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अपराध को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संगत उसके शब्दों में लेखवद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रश्नक से दण्डित कर दोषांकित कर घोषित किया गया। कसकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवमान तक की दण्ड एवं 1500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 30 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति..... रुपये राजसात विद्ये जाये। संपत्ति..... मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अथवा अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta  
Judicial Magistrate first class,  
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 1500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद क0 79 दी गई।

अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संज्ञित हो।

Handwritten signature and stamp at the bottom right.